मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–14

ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष– 0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– डिवार / कालीकृत–12 / 2023– 17 / पटना, दिनांक:– 13/04/2023

आदेश

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के पत्रांक–441 दिनांक–30.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया के पत्रांक–225 दिनांक–01.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–408 दिनांक–07.02.2023 द्वारा संवेदक श्री संजय कुमार यादवेन्दु, पिता–सिद्धेश्वर प्रसाद, ग्राम–महमन्ना, पो0–टिकारी, जिला–गया, पिन कोड–824236 निबंधन सं0–MWRD1121C2IN2503 श्रेणी–02 (द्वितीय) को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–13 / 2021–22 के ग्रुप सं0–02 (महुएत टाल आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य) में डाले गये फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र की मात्रा में छेड़–छाड़ कर निविदा में भाग लेने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया का पत्रांक–1234 दिनांक–06.06.2022 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली का पत्रांक–1092 दिनांक–30.07.2022 द्वारा संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र के फर्जी होने संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराया गया एवं उक्त का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है जिसके आलोक में संवेदक के विरूद्ध आरोप स्वतः स्पष्ट है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक–138 दिनांक–27.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गई। उक्त कारण पृच्छा संवेदक को स्पीड पोस्ट संख्या–RF285993999IN द्वारा प्रेषित की गई जो दिनांक–03.03.2023 को उन्हें प्राप्त होने संबंधी सूचना संबंधित बेवसाईट पर प्रदर्शित है। साथ ही संवेदक के ईमेल–sanjaymahmanna@gmail.com के माध्यम् से भी पत्र प्रेषित की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त कारण पृच्छा में संवेदक को एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ छेड़–छाड़ किये जाने / फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने संबंधित आरोपो के संबंध में बचाव का कोई तथ्य / कारण उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

अतः उक्त के आलोक में विषय की महत्ता के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में संवेदक श्री संजय कुमार यादवेन्दु, पिता–सिद्धेश्वर प्रसाद, ग्राम–महमन्ना, पो0–टिकारी, जिला–गया, पिन कोड–824236 निबंधन सं0–MWRD1121C2IN2503 श्रेणी–02 (द्वितीय) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम –11 (क) (vii) में निहित शर्तो एवं प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/2023

E:\New folder-2023\194.docx

पत्रांकः– 304 /पटना, दिनांकः– 13/04/2023

प्रतिलिपि– श्री संजय कुमार यादवेन्दु, पिता–सिद्धेश्वर प्रसाद, ग्राम–महमन्ना, पो0–टिकारी, जिला–गया, पिन कोड–824236 निबंधन सं0–MWRD1121C2IN2503 श्रेणी–02 (द्वितीय) को सूचनार्थ प्रेषित।

13/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/23

पत्रांकः– 304 /पटना, दिनांकः– 13/04/2023

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण भवन/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/2023

पत्रांकः– 304 /पटना, दिनांकः– 13/04/2023

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/023

E:\New folder-2023\194.docx